	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	पौष 18, बुधवार, *शाके* 1941–जनवरी 8, 2020 *Pausa 18, Wednesday, Saka 1941–January 8, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 27, 2019

संख्या F.59 STP/DLB/ Mount Abu_Bbl( )/16/6871 :-राज्य सरकार द्वारा माउण्ट आबू (ईको-सेन्सिटिव जोन) भवन विनियम, 2019 अधिसूचना क्रमांक एफ.59 एसटीपी/डीएलबी/Mount Abu_Bbl( )/4474 दिनांक 09.03.2019 द्वारा अधिसूचित किये जा चुके है। माउण्ट आबू (ईको-सेन्सिटिव जोन) भवन विनियम, 2019 के विनियम संख्या 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माउण्ट आबू (ईको-सेन्सिटिव जोन) भवन विनियम, 2019 के निम्न बिन्दुओं को निम्नानुसार संशोधित/पुर्नस्थापित किया जाता है :-

1. तालिका संख्या **1** के नोट क्रमांक **01:-**गैर योजनागत सघन आबादी एस-2 क्षेत्र के स्वरूप व विद्यमान भवन रेखा की निरन्तरता के दृष्टिगत वर्तमान विद्यमान भवन को तोड़कर नया भवन प्रस्तावित किये जाने पर वर्तमान (पूर्व से निर्मित) भवन की भवन रेखा के अनुसार अनुमति दी जा सकेगी। एस-1, एस-3 व एस-4 में निर्माण पर सैटबेक तालिका-1 के अनुसार रखा जाना अनिवार्य होगा।
2. तालिका **1** के नोट क्रमांक **02 :-** माउण्ट आबू (ईको-सेन्सिटिव जोन) के सभी क्षेत्रों (एस-1, एस-2, एस-3 तथा एव-4) में अधिकतम बी.ए.आर. तालिका 1 में निर्धारित उंचाई व अन्य मापदण्ड़ों के अनुसार जो भी प्राप्त हो अनुज्ञेय की जा सकेगी। साथ ही सभी उपयोगों हेतु मानक बी.ए.आर. 2.0 (रिसोर्ट एवं मोटल हेतु 0.60) निर्धारित किया जाकर इससे अधिक बी.ए.आर. हेतु बैटरमेंट लेवी देय होगी।
3. विनियम संख्या **7.2.9 (iv)** ऊंचाई**:-**भवन की अधिकतम उंचाई/अथवा मंजिलों की संख्या का निर्धारण भूखण्ड़ पर प्रस्तावित प्लिन्थ लेवल से किया जावेगा अर्थात किसी ढलाननुमा भूखण्ड जिसके पृथक-पृथक भागों में भूमि का लेवल पृथक-पृथक हो तो ऐसे भूखण्ड़ पर प्रस्तावित भवन ईकाइयों में प्रस्तावित पृथक-पृथक प्लिन्थ लेवल के उपर अनुज्ञेय मंजिले व उंचाई अनुज्ञेय होगी।
4. अन्य समस्त मानदण्ड माउण्ट आबू (ईको-सेन्सिटिव जोन) भवन विनियम, 2019 अनुसार यथावत रहेगें।

उज्ज्वल राठौड़,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।